बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

वेबसाइट:- bsbccl.bihar.gov.in

BSBCCL

Build Green, Live Green!

CIN:U45200BR2008SGC013513

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

(A Government of Bihar Undertaking)

Website:- bsbccl.bihar.gov.in

पत्रांक-2512.............. दिनांक-23/06/25

पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना सं0 -22/2025-26

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय में सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु भाड़े पर वाहन का आवश्यकतानुसार प्रयोग हेतु इच्छुक निबंधित ट्रेवल्स/एजेन्सियों से निम्नलिखित शर्तो के अधीन मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है:-

1. निविदा आमंत्रण सूचना एवं विहित प्रपत्र दिनांक 16.07.2025 (बुधवार) तक कार्यालय अवधि में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के राजवंशी नगर स्थित कार्यालय मे या निगम के वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकेंगे।

2. एक मुहरबंद लिफाफा के अन्दर दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे (तकनीकी बीड एवं वितीय बीड हेतु अलग अलग लिफाफा) होगें तथा मुख्य लिफाफा पर साफ-साफ शब्दों में कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।

3. तकनीकी बीड के लिफाफा में निम्न वर्णित अभिलेख/प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा :-

(i) फर्म का जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र।

(ii) PAN Card

(iii) फर्म के नाम से अथवा प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशक के नाम से निम्नलिखित वाहन का निबंधन होना अनिर्वाय है, इसके साथ वाहन का वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन बीमा, संलग्न करना अनिवार्य है :-

(क) 05 (पाँच) वाहन (Tata Safari,Innova,Crysta, Scorpio N, Hycross)

(ख) 05 (पॉच) वाहन यथा (Ertiga/Scorpio/Swift Dzire,Amaze, A.C. equivalent)

(ग) वर्णित वाहन (05) पॉच वर्षो से अधिक पूरानी नहीं होनी चाहिए। 05 (पॉच) वर्ष से अधिक पूरानी होने पर मान्य नहीं होगा।

(iv) कम से कम 10 (दस) चालक का वाणिज्यिक लाइसेंस की छायाप्रति।

(v) विगत तीन वर्षो का Balance Sheet & P&L A/C, IT Return (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) जिसमें किसी एक वर्ष में कम से कम 25.00 लाख का वर्षिक टर्न ओवर होना अनिवार्य होगा।

(vi) निविदाकर्ता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि न्यायालय में उनपर कोई वाद लंबित नहीं है और ना ही न्यायालय द्वारा किसी कानून के तहत उन्हें दंडित किया गया है तथा उन्हें किसी भी संस्थान द्वारा डीबार अथवा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।

(vii) निविदादाता को बिहार राज्य भवन निर्माण लि0, पटना के नाम से रू 2000/-(दो हजार रूपया मात्र) का डिमान्ड ड्रॉफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(viii) Earnest Money के रूप में 25,000/-(पच्चीस हजार) रूपये मात्र का Demand Draft किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का जो BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD, पटना के नाम से प्रतिज्ञित (Pledge) हो जमा करना अनिवार्य होगा।

(ix) निविदादाता को भारत सरकार/राज्य सरकार के किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था में पिछले तीन वर्षो में भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने का अनुभव होना अनिवार्य है। इस हेतु कम से कम दो सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4. संबंधित कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं कोटेशन आमत्रण सूचना की हस्ताक्षरित प्रति रख कर मुहरबंद करना होगा। वित्तीय बीड लिफाफा में दर अंकित करने हेतु प्रपत्र होगा, जिसमें वांछित प्रविष्टि के साथ निविदादाता का हस्ताक्षर रहेगा। वितीय बीड लिफाफा को भी मुहरबंद करना अनिवार्य होगा।

5. निविदा दिनांक 16.07.2025 (बुधवार) के अपराह्न 3:00 बजे तक निबंधित डाक से अथवा स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सीलबंद लिफाफे में डिमांन्ड ड्राफ्ट सहित निविदा कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

6. प्राप्त निविदाओं के तकनीकी भाग को दिनांक 16.07.2025 (बुधवार) को 4:00 बजे अपराह्न में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय में निविदा मूल्यांकन समिति के समक्ष खोलते हुए इसका मूल्यांकन किया जाएगा। निविदादाता से अनुरोध है कि वे स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से तकनीकी निविदा खोलते समय उपस्थित रहें। निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में निगम के सक्षम प्राधिकार द्वारा निविदा खोलते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। बिना Authorization के निविदादाता के अतिरिक्त किसी प्रतिनिधि को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। तकनीकी निविदा मे सफल निविदादाताओं का ही वितीय निविदा खोला जाएगा।

7. कार्यालय द्वारा वाहन की सेवा आवश्यकता पड़ने पर ही ली जायेगी।

8. Hycross वाहन किराए पर लेने की स्थिति में उकत वाहन अधिकतम 06 माह पूरानी होनी चाहिए।

9. वाहन का निबंधन व्यावसायिक होना चाहिए तथा वाहन का बीमा, विविध करों का भुगतान तथा आवश्यक कागजात होने चाहिए।

10. चयनित एजेन्सी को निर्धारित मासिक/दैनिक किराया के अतिरिक्त कोई भी कर या शुल्क देय नहीं होगा। विपत्र से नियमानुसार सभी प्रकार के करों यथा आयकर (TDS), GST आदि की कटौती की जाएगी।

11. वाहन की सुरक्षा की सम्पूर्ण जवाबदेही वाहन आपूर्तिकर्ता की होगी।

12. किसी भी प्रकार की दुर्घटना से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति की जवाबदेही कार्यालय की नहीं होगी।

13. मासिक तौर पर भाड़े पर प्रयोग किए जाने वाले वाहन 24 घंटे संबंधित (यदि आवश्यक हो तो) पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर एजेंसी का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें और इसकी सूचना कार्यालय तथा संबंधित पदाधिकारी को अविलम्ब अचूक रूप से देगें।

14. आवश्यकता पड़ने पर वाहन की सेवा क्षेत्र भ्रमण (विभिन्न जिलों में) हेतु भी ली जायेगी जिसके लिये किसी भी तरह के Halt (Night Halt इत्यादि) के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

15. माह में किसी दिन ससमय वाहन नहीं उपलब्ध कराए जाने पर उसका समानुपातिक भाड़ा की कटौती कर ली जाएगी। तथा 500/-(पॉच सौ) रू0 प्रतिदिन की दर से Penalty की वसूली मासिक किराए से की जाएगी ।

Amod

16. गाड़ी की सेवा अनूमोदित दर पर एक वर्ष के लिए ली जाएगी तथा सेवा संतोष-जनक पाए जाने पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से अगले एक वर्ष के लिए नवीकृत भी किया जा सकता है।

17. वाहन के प्रकार के चुनाव का अधिकार तथा बिना कारण बताए कोटेशन रदद करने का अधिकार/निविदा प्राप्ति की तिथि विस्तारित करने का अधिकार मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निर्माण निगम लि0, को सुरक्षित होगा।

18. विशेष जानकारी के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के महाप्रबंधक (प्रशासन) के कार्यालय से कार्यालय अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

19. कार्यादेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अंदर चयनित वाहन, चालक के साथ उपलब्ध कराना होगा।

20. आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भाड़े का भुगतान किया जाएगा। भुगतान में विलम्बकी की स्थिति में कोई अतिरिक्त दावा मान्य नहीं होगा।

21. दर अंकित करने के लिए विहित प्रपत्र इस सूचना के साथ संलग्न है।

22. निविदा के अंतिम दिन अवकाश घोषित होने पर निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि अगला कार्य दिवस होगा।

23. यदि वितीय भाग में Lowest-2 निविदादाता न्यूनतम निविदाता के दर पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु अपनी सहमति देंगे तो उनको भी सूचीबद्व किया जा सकता है। भवष्यि में वाहन के प्रयोग हेतु सर्वप्रथम मूल न्यूनतम दरदाता (जिसका दर सामान्यत: न्यूनतम Lowest-1 होगा) को अवसर दिया जाएगा। यदि किसी कारण से उनके द्वारा वाहन उपलब्धता में असमर्थता अथवा ससमय वाहन नहीं उपलब्ध करायी गयी तो अन्य सूचीबद्व एजेन्सी को भी अवसर (न्यूनतम दर पर ही) दिया जा सकता है।

24. चयनित एजेन्सी को अल्पसूचना पर भी ससमय वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

25. सेवा में किसी भी प्रकार त्रुटि पाए जाने पर एजेन्सी को डीबार अथवा कालीकृत किया जा सकता है। साथ ही इस निविदा प्रपत्र के अन्य शर्तो के तहत भी नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती है।

26. सफल निविदाकर्ता को कार्यालय के साथ एकरारनामा करना होगा तथा उक्त हेतु आवश्यक Non-Judicial Stamp की आपूर्ति चयनित निविदाकर्ता को करनी होगी।

27. यदि किसी कारणवश निगम एवं एजेन्सी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उक्त मामला पटना क्षेत्र के न्यायालय में ही दायर होगा।

23/6/25

मुख्य महाप्रबंधक
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,
पटना।

वित्तीय पुर्ननिविदा/दर अंकित करने हेतु प्रपत्र

Sl. No.	Type of Vehicle (With A.C.)	Rate in Rupees (Inclusive of Fuel, Mobil, Driver all the taxes, any type of Exp.) Excluding Toll and Parking								
		Local Booking		Outstation Booking (Minimum Chargeable KM 200 KM)	Monthly Booking					
		Full Day-A (60KM/8Hr)	Full Day-B (75KM/12Hr)	Basic Rate (Rs./KM)	Rate in Rs. Up to 1200 KM With Driver	Rate in Rs. 1500 KM With Driver	Rate in Rs Up to 1200 KM Without Driver	Rate in Rs 1500 KM Without Driver	Rate (Per KM) after (1200,1500 as applicable) with Driver	Rate (Per KM) after (1200,1500 as applicable) without Driver
1	Swift Dzire/Breeza/Amaze/Zest equivalent									
2	Bolero New Modal									
3	XL6/Ertiga Equivalent 7 Seater									
4	Scorpio N/ Tata Safari/ Harrier									
5	Innova Crysta/Xuv 700 Equivalent									
6	Innova Hycross									